भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1952
(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के आकलन हेतु सार-संग्रह

1952. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों के क्रियान्वयन का आकलन करने हेतु कोई सार-संग्रह प्रकाशित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों के क्रियान्वयन को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की है, यदि हां, तो सार-संग्रह में क्या सुझाव प्रस्तुत किए गए थे; और
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि कारपोरेट घराने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों को सक्रिय रूप से शुरू कर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कोई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) सार-संग्रह प्रकाशित नहीं किया है। तथापि, 460 सूचीबद्ध कंपनियों के अध्ययन से, जिन्होंने उनकी वेबसाइटों पर सीएसआर संबंधी वार्षिक विवरण रखा है, यह आकलन लगाया गया है कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 409 प्राइवेट क्षेत्र कंपनियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर पर क्रमश: लगभग 2386.60 करोड़ रुपए और 3950.76 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का कार्यकलाप-वार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जिसमें कंपनी अधिनियम के सीएसआर उपबंध शामिल हैं; कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014; और अनुसूची-VII जिसमें कंपनियों द्वारा सीएसआर के अधीन चलाए जाने वाले कार्यकलापों की सूची दी गई है, 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए और 01 अप्रैल, 2014 से लागू हुए। इसके पश्चात, मंत्रालय ने दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं ताकि सीएसआर का प्रभावी कार्यान्वयन सुगम हो तथा अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1952 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यकलाप-वार सीएसआर व्यय (वित्त वर्ष 2014-15)

क्रम संख्या	**अनुसूची-VII में विषय**	**सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)**
1.	भूखमरी, गरीबी निवारण और स्वास्थ्य देखभाल	1421.66
2.	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल/जिविका सुधार	1462.6
3.	महिला/वृद्ध/बच्चे	219.27
4.	पर्यावरण सुस्थायित्व	1188.69
5.	कला एवं संस्कृति	539.83
6.	खेल विकास	454.91
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	125.32
8.	ग्रामीण विकास	724.32
9.	स्लम विकास	114.14
10.	स्वच्छ भारत कोष	42.64
11.	निर्मल गंगा कोष	15.49
12.	अन्य	28.5
	कुल योग	**6337.36**

*****